

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 07 जून, 2017

क्रमांक एफ 22-30/2017/पी-1/इकतीस-राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.1.2008 एवं सहपठित परिपत्र दिनांक 1.4.2008 तथा दिनांक 13.11.2009 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स.क्र.	नाम एवं जन्मतिथि	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान 15600-39100+ग्रेड-पे 6600/- का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुनील गिरवाल 23.11.78	23.01.2007	23.09.2015

2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अधिकारी के नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शाई तिथि को उनका सहायक यंत्री के पद पर उपस्थिति दिनांक से सेवाकाल के 08 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यदि उपरोक्त तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो वास्तविक पात्रता तिथि के संबंध में स्वीकृति प्राप्त की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.एस.जादोन)
उप सचिव


म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 07 जून, 2017

पृ0क्र. एफ 22-30 /2017/पी-1/इकतीस (05)
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. महालेखाकार, म.प्र., लेखा एवं हकदारी, भोपाल/ग्वालियर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण सड़क विभाग, प्राधिकरण, भोपाल।

नितर.....2/

5. प्रमुख अभियंता, म.प्र., जल संसाधन, भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री
8. संबंधित कोषालय अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारी.....
10. ✓ वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
11. स्टाक पंजी
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।


उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग